

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2022—आषाढ़ 3, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2022

क्र. ई-1-89-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	तालिका नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अनुग्रह पी. (2011), कलेक्टर, जिला खरगौन.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.

3879

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री कुमार पुरुषोत्तम (2012), कलेक्टर, जिला रतलाम.	कलेक्टर, जिला खरगौन	—
3	श्री तरूण भटनागर (2012), अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग, जबलपुर.	कलेक्टर, जिला निवाड़ी	—
4	श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी (2012), कलेक्टर, जिला निवाड़ी	कलेक्टर, जिला रतलाम	—

भोपाल, दिनांक 25 मई 2022

क्र. ई-1-96-2022-5-एक.—श्री हर्षल पंचोली, भाप्रसे (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 26 मई 2022

क्र. ई-1-244-2016-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017/25/2016/AIS-(I), दिनांक 2 मार्च, 2017 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे (SK:2007) की सेवाएं 3 वर्ष के लिए अंतः-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर सिक्किम संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग को सौंपी गई थी. तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017/25/2016-AIS-(I), दिनांक 21 मई, 2020 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे (SK:2007) की मध्यप्रदेश संवर्ग में प्रतिनियुक्ति अवधि में 02 वर्ष की वृद्धि की गई.

(2) भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017/25/2016-AIS-(I). दिनांक 21 मई, 2020 के अनुक्रम में श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे (SK:2007) की मध्यप्रदेश संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 31 मई 2022 को पूर्ण हो रही है.

(3) अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे (SK:2007), संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप उन्हें उनके मूल संवर्ग सिक्किम में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 31 मई 2022 (अपरान्ह) से कार्यमुक्त करता है. साथ ही भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14017/06/2017-AIS-II. दिनांक 9 फरवरी 2018 के अंतर्गत श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे (SK:2007) को दिनांक 1 जून से 30 जुलाई 2022 तक 60 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2022

क्र. ई-1-100-2022-5-एक.—इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-244-2016-5-एक, दिनांक 26 मई 2022 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे (SK:2007), संचालक कौशल विकास, मध्यप्रदेश की सेवाएँ दिनांक 31 मई 2022 (अपरान्ह) से उनके मूल कॉडर सिक्किम संवर्ग को लौटाई गई है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री जितेन्द्र सिंह राजे के कार्यमुक्त होने पर श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011), परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा संचालक, मेपसेट (म. प्र. काउंसिल एण्ड ट्रेनिंग) (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2022

क्र. ई-1-102-2022-5-एक.—सुश्री प्रतिभा पाल, भाप्रसे (2012), आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक दिनांक 08 एवं 09 जनवरी, 2023 को इन्दौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन को को-आर्डिनेट करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग घोषित किया जाता है.

क्र. ई-1-103-2022-5-एक.—श्री हर्षल पंचोली, भाप्रसे (2015), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

संशोधन आदेश

भोपाल, दिनांक 13 मई 2022

क्र. 628-145-2019-एक-10.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 467-468-145-2019-एक-10, दिनांक 01 अप्रैल 2022 के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2022 तक कुल 05 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य शासन एतद्वारा उक्त आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2022 को संशोधित करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 21 से 28 फरवरी 2022 तक कुल 08 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

भोपाल, दिनांक 23 मई 2022

क्र. एफ. 5-05-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-1869-(दो-1-27/2021) दिनांक 28 मार्च 2022 के अनुक्रम में दिनांक 28 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 मार्च 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 एवं 03 अप्रैल 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ. 5-05-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-1872-(दो-1-27/2021) दिनांक 28 मार्च 2022 के अनुक्रम में दिनांक 20 से 29 अप्रैल 2022 तक दस दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ. 5-24-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-1598-(दो-1-22/2021) दिनांक 30 मार्च 2022 के अनुक्रम में दिनांक 21 से 26 फरवरी 2022 तक छः दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2022

क्र. एफ 1(ए) 90-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 01 से 30 जून 2022 तक 30 दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार शर्मा भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मई 2022

फा. क्र. 1576-इक्कीस-ब(एक)-2022.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 17, 46 और 82 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी					
क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“17	श्रीमती चंचल बुंदेला, प्रथम सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड बिजावर.	बीजावर	छतरपुर	बीजावर	बीजावर
46	श्री निर्भय कुमार गर्वा, प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मुरैना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	मुरैना	मुरैना	मुरैना	मुरैना
82.	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत, द्वितीय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, उमरिया.	उमरिया	उमरिया	उमरिया	उमरिया.”.

F. No. 1576/XXI-B(1)/2022.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251-XXI-B(1)/13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 17, 46 and 82 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“17	Smt. Chanchal Bundela, I Civil Judge, Senior Division Chhatarpur.	Bijawar	Chhatarpur	Bijawar	Bijawar
46	Shri Nirbhay Kumar Garva, Additional Judge to the Court of Ist Civil Judge Senior Division, Morena.	Morena	Morena	Morena	Morena
82.	Shri Dharmendra Khandayat IInd Civil Judge Senior Division, Umaria.	Umaria	Umaria	Umaria	Umaria.”.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2022

फा. क्र. 1761-इक्कीस-ब(एक)-2022.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 4, 18, 49, 59, 66 और 70 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम एवं पद	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“4.	श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अनूपपुर.	कोतमा	अनूपपुर	कोतमा	कोतमा
18	श्रीमती प्रेरणा जैन, पांचवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
49	श्रीमती आरती ढींगरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	गाडरवारा	नरसिंहपुर	गाडरवारा	नरसिंहपुर
59	श्री अमित कुमार शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रीवा.	सिरमौर	रीवा	सिरमौर	सिरमौर
66	श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सिवनी.	सिवनी	सिवनी	सिवनी	सिवनी
70	श्री आदिल अहमद खान, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, शाजापुर.	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर

F. No. 1761-XXI-B(1) 2022,—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 4, 18, 40, 49, 59, 66 and 70 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“4	Shri Ravindra Kumar Shilpi, Civil Judge Senior Division, Anuppur.	Kotma	Anuppur	Kotma	Kotma

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Smt. Prema Jain, V Civil Judge Senior Division, Chhindwara.	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara
49	Smt. Arti Dhingra, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Narsinghpur.	Gadarwara	Narsinghpur	Gadarwara	Gadarwara
59	Shri Amit Kumar Sharma, III Civil Judge Junior Division, Rewa.	Sirmaur	Rewa	Sirmaur	Sirmaur
66	Shri Thakur Prasad Malviya, II Civil Judge Senior Division, Seoni.	Seoni	Seoni	Seoni	Seoni
70	Shri Adil Ahmad Khan, IV Civil Judge Senior Division, Shajapur.	Shajapur	Shajapur	Shajapur	Shajapur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2022

क्र. 2252-इक्कीस-ब(दो)-2022.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्र. 2243-इक्कीस-ब(दो) दिनांक 6 जून 2020 द्वारा नियुक्त श्री पुष्पमित्र भार्गव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, इंदौर द्वारा दिया गया त्यागपत्र, दिनांक 15 जून 2022 से स्वीकृत कर कार्यमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश चन्द्र शर्मा, सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2022

क्र. एफ-1-18-2016-सं-तीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा शौर्य स्मारक, अरेरा हिल्स, भोपाल में भारतीय एवं विदेशी दर्शकों के प्रवेशार्थ मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-18-2016-सं-तीस, दिनांक 13 फरवरी 2017 के अनुक्रम में निम्नानुसार पुनरीक्षित सहयोग राशि निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है:—

स. क्र. (1)	विवरण (2)	सहयोग राशि (3)
1	भारतीय नागरिक	रुपये 20.00 प्रति व्यक्ति (15 वर्ष से अधिक)
2	विदेशी नागरिक	रुपये 400.00 प्रति व्यक्ति (15 वर्ष से अधिक)
3	संस्थाओं के लिए (20 से अधिक समूह के लिए)	रुपये 10.00 प्रति व्यक्ति
4	फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी (बिना फ्लेश एवं स्टेण्ड)	रुपये 250.00

(1)	(2)	(3)
5	फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी (फ्लेश एवं स्टेण्ड सहित)	रुपये 400.00
6	शौर्य वीथी में मोबाईल से फोटोग्राफी के लिये (बिना फ्लेश एवं स्टेण्ड).	रुपये 50.00
7	ऑडियो गाईड सुविधा	रुपये 50.00 ऑडियो गाईड उपकरण सहित
8	सैनिक (गणवेश में) या पूर्व सैनिक (परिचय पत्र के आधार पर).	निःशुल्क
9	दिव्यांग	निःशुल्क

अन्य निर्देश/शर्तें मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 13 फरवरी 2017 के अनुसार यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2022

क्र. एफ-1-08-2022-बी-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को सारिणी के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए श्री अनिल पंडित, असि. रजिस्ट्रार के अवकाश के दौरान कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी को कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों हेतु असिस्टेंट रजिस्ट्रार नियुक्त करता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम का नाम	अधिनियम की धाराएं	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
01	श्री अजय खरे, असि., रजिस्ट्रार फार्म एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 25, (2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	रीवा एवं शहडोल संभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 15 जून 2022

क्र. एफ-1-3-22-रा.स.-यू.ए.1-768.—पं. एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016) की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम 01 की कंडिका (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, पं. एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:—

- | | | | |
|----|---|------------------|---|
| 1. | डॉ. राजकुमार आचार्य,
कुलपति,
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
रीवा (म. प्र.). | समिति के अध्यक्ष | कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित |
| 2. | प्रो. बट्टु सत्यनारायण,
कुलपति,
कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
अलंद तालुक, जि. गुलबर्गा (कर्नाटक). | समिति के सदस्य | अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा
नामांकित. |
| 3. | प्रो. भरत मिश्रा,
कुलपति,
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,
चित्रकूट (म. प्र.). | समिति के सदस्य | विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्
द्वारा नामांकित. |

1

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. राजकुमार आचार्य, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022-रास-यू.ए.-1, दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.

कुलाधिपति, पं. एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय, शहडोल के आदेशानुसार,

धरणेन्द्र कुमार जैन, राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व
नर्मदापुरम, दिनांक 13 मई 2022

पत्र क्र. 7030-भू-अर्जन-2021.—अन्तर्गत धारा-19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में नर्मदा नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची क्रमांक-1

मौजा ग्राम खोजनपुर, तहसील—नर्मदापुरम नगर, जिला नर्मदापुरम

क्र. (1)	विवरण (2)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में (3)	अर्जित रकबा
1	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है नर्मदा नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण	कुल रकबा 36.244	2.494

अनुसूची क्रमांक (2)

1 कृषक का नाम व पिता/पति का नाम (1)	खसरा क्र. (2)	भूमि का कुल रकबा (हे. में) (3)	अर्जित भूमि का रकबा (हे. में) (4)	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का नाम (5)	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का नाम (6)
--	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--	--

1	सुनीता पत्नी नरेन्द्र पांडे पता नर्मदापुरम भूमि स्वामी	141/10	2.542	0.105	भूमि 01, बंसवत 01, महावत 01
2	बाबा भगवानराम ट्रस्ट ग्राम सोयडा जिला जशपुर अध्यक्ष बाबा गुरुपद जी पिता बाबा परमपूज्य अधोश्वर भगवान रामजी पता निवासी पडाव वाराणसी भूमि स्वामी	142/1	0.445	0.194	
3	सुनीता पत्नी नरेन्द्र पांडे पता नर्मदापुरम भूमि स्वामी	143/3	0.567	0.215	
4	अनिता देवेन्द्र पांडे पता खोजनपुर होशंगाबाद	143/4	0.566	0.125	बांस बीड(छोटा) 01 सीवन वृक्ष (छोटा) 01
5	अनिता देवेन्द्र पांडे पता खोजनपुर होशंगाबाद	143/1	0.024	0.005	
6	सुनीता पत्नी नरेन्द्र पांडे	144/5	0.983	0.093	पत्ताश वृक्ष 01
7	श्री दुर्गाजी जगधारी मंदिर सरवराकार मंहत धन्याजगिरि गुरु मंहत सिद्धगिरि एवं जिला अध्यक्ष नर्मदापुरम	145/1	1.619	0.045	
8	नीरज पिता रणवीर सिंह पता नर्मदापुरम मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी, श्री कृष्ण पिता जीवन सिंह पता नर्मदापुरम म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी	146/2, 146/1	1.287	0.154	
9	आय प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश विदर्भ कार्यालय पता नर्मदापुरम	147/2	7.867	0.060	नीम वृक्ष(छोटे) 02, शीशम 01, मुन्ग 01
10	कृष्णा देवी जीजे सुदामा प्रसाद पता नर्मदापुरम	147/3	1.299	0.025	पक्की दीवार लम्बाई 8 मीटर छोड़ाई 1.5 फीट लोह का गेट बना है
11	कृष्णा देवी जीजे सुदामा प्रसाद पता नर्मदापुरम	147/4	1.619	0.045	

12	कविता बाई पत्नी किशनलाल पता नर्मदापुरम	147/8	1.619	0.056	
13	नर्मदा बाई पत्नी किशनलाल पता नर्मदापुरम	147/9	1.619	0.044	
14	दालत सिंह पिता गौरीशंकर राजपूत पता नर्मदापुरम	116/5	0.040	0.008	
15	कैलाश प्रसाद पिता ओमकार प्रसाद पता नर्मदापुरम	114/1	0.835	0.154	इमली वृक्ष 01 नीम वृक्ष 01
16	श्यामल आ. केशरिया जाति ग्वाल पता नर्मदापुरम	114/3	0.174	0.036	
17	गिरजाबाई विधवा बैनीप्रसाद, संतोष, राजेश पुत्रगण बैनीप्रसाद, राधा, रजनी, हेमा पुत्रीया बैनीप्रसाद पता नर्मदापुरम	64/4	0.081	0.024	
18	संघ्याराम पुत्री परमानंद राय जाति कलार पता नर्मदापुरम	112/4	1.108	0.016	
19	संघ्याराम पुत्री परमानंद राय जाति कलार पता नर्मदापुरम	112/9	0.595	0.109	
20	पार्वती पत्नी नेमीचंद, पप्पू पिता नेमीचंद, रमेश पिता नेमीचंद, कल्लू पिता नेमीचंद, नर्मदा पिता नेमीचंद, नारायण पिता नेमीचंद, फूलाबाई पिता नेमीचंद, बिट्टी पिता नेमीचंद, बबली पिता नेमीचंद जाति कहार पता नर्मदापुरम	107/3	0.307	0.016	बेल वृक्ष 01, करंजी 01, बैर 02, शीठा वृक्ष 01
21	लक्ष्मीबाई बेबा शिवप्रसाद पता नर्मदापुरम	107/8 107/23	0.081 0.052	0.040	करंजी वृक्ष 01, बमूर वृक्ष 01
22	राजेन्द्र प्रसाद पिता दुलारे प्रसाद जाति ग्वाला	104/1/1	2.228	0.017	
23	राकेश, कामता पिता माया, रेखा पिता फूलचंद देवीप्रसाद पिता हीरालाल, सरवन लाल पिता हीरालाल	104/1/2	2.228	0.035	पल्लव वृक्ष 01
24	रमेश वत्तद जगना ग्वाल पता नर्मदापुरम 1/2 भाग भूमि स्वागी भग्गो बेबा जमना जाति ग्वाला पता नर्मदापुरम 1/2 भाग भूमि स्वामी	103/3 103/1	0.405 2.355	0.146	
25	उमेश कुमार पिता कालूराम पता नर्मदापुरम	102/4	0.061	0.008	
26	रामरतन पिता श्याम जाति ग्वाल 1/2 भाग भूमि स्वामी, गोरेलाल पति गोपी जाति ग्वाल 1/2 भूमि स्वामी	102/3	0.486	0.056	
27	कालूराम पिता बैनी पता नर्मदापुरम 1/2 भाग भूमि स्वामी, भग्गोबाई पिता बैनी पता नर्मदापुरम 1/2 भाग भूमि स्वामी	101/1 101/2	0.255 0.360	0.048	बमूर 01, महारुख वृक्ष 01, शीशम 01, मकान ईट का तीन शेड 20 गुणा 10 फुट में बना है कबीट वृक्ष 01, एक बांस बीडा, शीशम 04, जामुन वृक्ष 02, पक्का मकान 48 गुणा 32 में से 10 फीट गुणा 32 फीट
28	शालिनी टाइटस पत्नी असवर्ड राजेश्वर टाइटस 1/3 भाग, मधुर टाइटस पुत्र असवर्ड राजेश्वर टाइटस 1/3 भाग, रानू टाइटस पुत्री असवर्ड राजेश्वर टाइटस 1/3 भाग जाति ईसाई पता खोजनपुर नर्मदापुरम	100/3	0.405	0.048	
29	लीला बाई पिता ताराचंद पता नर्मदापुरम 1/2 भाग भूमि स्वामी भूपेन्द्र कुमार पिता बालचंद पता नर्मदापुरम 1/2 भाग	99/3	2.833	0.202	
30	नरेन्द्र कुमार बालचंद जाति ग्वाल पता खोजन पुर नर्मदापुरम	230/3	1.132	0.120	
31	राजेश्वरी बाई पत्नी बालचंद जाति ग्वाल पता नर्मदापुरम सम्पूर्णभाग	234/2	0.219	0.077	
32	ईश्वर सिंह रैक्वार पिता दुर्गा प्रसाद जाति कहार पता नर्मदापुरम	107/10 107/5	1.113 0.081	0.008 0.056	नीम वृक्ष 01, पल्लव वृक्ष 01, बैर वृक्ष 01, मकान खुला छत लंबाई 8 फीट चौड़ाई 2 फीट
33	जगदीश प्रसाद पिता ठाकुरलाल, जाति ढीमर पता नर्मदापुरम सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	107/15 107/17 107/19	0.029 0.081 0.029	0.052	
34	कन्दर्पीलाल पिता गौरी शंकर पता नर्मदापुरम सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	116/3	0.040	0.008	
35	रेखा बेबा पप्पू विकास पिता पप्पू पुष्पा पिता बच्चू लाल, इन्दू पिता बच्चूलाल, हेमवती पिता बच्चूलाल सभी जाति ढीमर पता नर्मदापुरम 1/5 भाग भूमि स्वामी,	107/21 107/22	0.081 0.052	0.040	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी नर्मदापुरम के कार्यालय में देखा जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपमचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

प्र. क्र. ए-82-5515

राजगढ़, दिनांक 31 मई 2022

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में लिम्बोदा जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ लिम्बोदा जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र, पाल एवं वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।।

अनुसूची (1)						
लिम्बोदा जलाशय			तहसील - खिलचीपुर	जिला-राजगढ़		
क्रं.	विवरण		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)			
	निजी भूमि लिम्बोदा जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से		रकबा			
1	ग्राम-कोडक्या की भूमि		5.010			
2	ग्राम-लिम्बोदा की भूमि		1.414			
3	ग्राम-कोडकी की भूमि		0.231			
	योग		6.655			
4	व्यावसायिक ढाबा (टीन शेड) ग्राम-कोडक्या		9.50 X 8 = 76.00 वर्ग मी.			
अनुसूची (2)						
(1) लिम्बोदा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन प्रकरण ग्राम कोडक्या						
क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम		खसरा कं.	भूमि का कुल रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)	अन्य विवरण
1	2		3	4	5	6
1	लालजी पिता हीरालाल जाति सौ. निग्राम भूस्वामी		1/8/4	0.055	0.055	
2	नारायणसिंह पिता फतेहसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी		6/2/2	0.115	0.034	
3	कगलसिंह पिता प्रभु जाति सौ. निग्राम भूस्वामी		119/3	0.105	0.105	
4	नरभेसिंह पिता पस्थी जाति सौ. निग्राम भूस्वामी		17/1/1	0.797	0.079	
			17/1/2	0.625	0.124	
	योग		2	1.422	0.203	
5	गोरीलाल पिता नरभेसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी		1/8/2	0.028	0.028	
6	कालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी		45/2	0.215	0.215	
7	भंवरलाल पिता उंकार हि. 1/3, सजनसिंह पिता उंकार 1/3, शोलाबाई पत्नी उंकार हि 1/3 जाति सौ. निग्राम भूस्वामी		43/1	0.178	0.178	
			108/1	0.190	0.190	
	योग		2	0.368	0.368	

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खरारा क्र.	भूमि का कुल रकबा (हे.में.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में.)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
8	कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	43/2/4	0.171	0.171	
9	दुलेसिंह आ. जगन्नाथ जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	43/2/3	0.171	0.171	
10	लक्ष्मीनारायण पिता रुग्नाथ हि. 1/3 बजेसिंह पिता रुग्नाथ हि. 1/3, रतनबाई वैवा रुग्नाथ हि. 1/3 जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	127/1/4	0.226	0.171	
11	फूलसिंह पिता मांगीलाल 1/2 कमलसिंह पिता मांगीलाल 1/2 जाति सौ निग्राम भूस्वामी	32/2	0.035	0.035	
		1/7/1	0.025	0.025	
		1/7/4	0.188	0.188	
	योग	3	0.248	0.248	
12	पीरूसिंह पिता रतनलाल हि. 1/3, गोपाल पिता रतनलाल 1/3, कमला पिता रतनलाल हि. 1/3 जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	1/7/2	0.025	0.025	
13	बालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	15/2/1	0.051	0.051	
		45/1	0.214	0.214	
		48/1/2	0.040	0.040	
		1/8/3	0.055	0.055	
	योग	4	0.360	0.360	
14	भवानीसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौ निग्राम भूस्वामी	1/5/2	0.380	0.380	
		43/2/2	0.171	0.171	
	योग	2	0.551	0.551	
15	मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	1/5/1	1.137	1.137	
		43/2/1	0.171	0.171	
	योग	2	1.308	1.308	
16	दरियावासिंह पिता प्रेमसिंह हि. 1/3, कुलसिंह पिता प्रेमसिंह हि. 1/3, सुंदरबाई वैवा प्रेमसिंह हि. 1/3 जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	1/8/1	0.028	0.025	
17	कालूसिंह पिता भंवरलाल 3/4, गीता पुत्री भंवरलाल 1/4 जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	127/1/1	0.498	0.498	
18	कालूसिंह पिता मोहनलाल 1/2, जसवंतसिंह पिता मोहनलाल 1/2 जाति सौ निग्राम भूस्वामी	127/1/2	0.226	0.061	
19	धीसालाल पिता भैरूलाल हि. 1/2, भवाना पिता गेरू हि. 1/2 जाति सौ. निग्राम भूस्वामी	1/3	0.441	0.400	
20	मांगीलाल पिता देवजी हि. 1/4, पीरू पिता रतनलाल हि. 1/4, गोपाल पिता रतनलाल हि. 1/4, कमलाबाई पिता रतनलाल हि. 1/4, सर्व जाति सौ निग्राम भूस्वामी	1/7/3	0.013	0.013	
	कुलयोग कोडक्या	31	6.574	5.010	
21	धापूबाई वैवा मोहनलाल जाति सौ निग्राम भूस्वामी	129/1/1		76.00 वर्ग मी	बावसायिक छाया (टीन शेड)

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में.)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
(1) लिम्बोदा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-- लिम्बोदा					
1	पूरसिंह बनेसिंह धूलोवाई पिता गेरु जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	6/5/2	0.126	0.126	
2	प्रेमसिंह पिता मांगीलाल, मोहनलाल पिता रुग्नाथ, जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	72/6	0.214	0.214	
3	हरिसिंह पिता बापूलाल जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	6/5/1	0.125	0.125	
4	मांगीलाल पिता धीरभरिह जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	55/3	0.165	0.043	
5	वीरमसिंह, मांगीलाल पिता उदयसिंह, केसरबाई बैवा उदयसिंह जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	72/1	0.048	0.048	
6	धापूबाई बैवा मोहनलाल, कानूसिंह जसवंतसिंह पिता मोहनलाल जाति सौ नि ग्राम कोडक्या भूस्वामी	72/5/1	0.429	0.429	
7	बजेसिंह लक्ष्मीनारायण पिता रुग्नाथ, रतनबाई बैवा रुग्नाथ जाति सौ नि ग्राम कोडक्या	72/5/2	0.429	0.429	
कुलयोग लिम्बोदा		7	1.536	1.414	
(1) लिम्बोदा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-- कोडकी					
1	भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	60/2, 61/2, 62/2	0.274	0.110	
2	हीरालाल पिता अनारसिंह हि. 3/4, दर्यावबाई बैवा अनारसिंह हि 1/4 जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी	69/4	0.367	0.121	
कुलयोग कोडकी		2	0.641	0.231	
महायोग (कोडक्या, लिम्बोदा, कोडकी)		40	8.751	6.655	

नोट :- भूमि छे नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी विहारपीपुर के कार्यालय में किये जा सकत है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 10 जून 2022

(1)

(2)

286/2/2/3
315/4/1

0.620

योग . . 0.820

प्र. क्र. 97-रीडर-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी
(ग) ग्राम का नाम—सुसारी
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.820 हेक्टेयर.

खसरा नंबर अर्जन का क्षेत्रफल रकबा (हे.)

(1) (2)
288/2 0.200

- (2) सार्वजनिक परियोजना:—डही माईक्रो उद्वहन सिंचाई के अंतर्गत 132 K.V. विद्युत् सब स्टेशन के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुशी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16 के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुशी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 मई 2022

प. क्र. 25-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	कनकेसरा	0.030	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 27-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	पनिगवां	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 29-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत

करता है। चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	मलैगावां	0.015	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 31-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	डिघवार	0.015	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 33-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	उरेहा	0.005	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 35-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	हर्दी	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 37-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	बडखरा	0.015	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 39-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार

प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	उचेहरा	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 41-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	खेतौही	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 43-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	पिपराही	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 45-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	मोलैया	0.005	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 47-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	गौरी	0.030	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 49-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है

एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	खैरा	0.030	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 53-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	बेलहाई कला	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 51-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	बहेरी रामप्रसाद	0.005	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 55-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	बमुरिहा	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 57-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	तमरी	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 59-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं

कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	तमरी ठाकुर	0.005	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 61-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	शिवपुर	0.005	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 65-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	बेतलाई खुर्द	0.005	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

रीवा, दिनांक 23 मई 2022

प. क्र. 111-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	उधरेंगा	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 113-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	बहेरी चौवान	0.015	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 115-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित

नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	रौसरा	0.020	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 117-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	पतेरी मु. डिधौल	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 119-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	हरैया	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 121-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	भूण्डहा	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 123-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	मजरा ऊर्ची	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 125-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	ऊर्ची कोठार	0.030	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 127-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	गोदरी	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

प. क्र. 129-प्रशा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	झलवार	0.050	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).	डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्रमांक-भू-अर्जन-783-राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ-82-2022-23

उज्जैन, दिनांक 20 मई 2022

अधिसूचना

प्रारूप—“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक 03-अ-82-22-23.—अतएवं, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में अमृत परियोजना के अंतर्गत-ट्रेकमेन त्रिवेणी घाट से लेकर भूखीमाता मंदिर तक नदी के बायीं तरफ तथा भूखीमाता मंदिर से लेकर मंगलनाथ मंदिर तक बायीं तरफ हेतु परियोजना हेतु कस्बा उज्जैन जिला उज्जैन (म. प्र.), अधीक्षण यंत्री (अमृत), नगर पालिक निगम द्वारा भूमिगत पाइप लाइन एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिससे भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएवं मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	663/1	0.274
2	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	661/1, 662	0.240
3	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	655	0.052
4	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	658/1	0.0627
5	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	190	0.031
6	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	189/5	0.102
7	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	189/4	0.103
8	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	189/2, 191, 192	0.080
9	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	191/1	0.072
10	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	656, 657	0.089
11	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	2746/6, 2746/7	1.080
12	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	2690	0.021
13	उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	95, 97, 98/1	0.236

संजीव साहू, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 8 जून 2022

पत्र क्र. 5529-प्रवा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम—घंघरोटा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.70 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
638	0.95
656	0.75
योग	1.70

पत्र क्र. 5530-प्रवा.-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम—जारारोड़ा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.65 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
210	0.18
733/4	0.18
756	1.63
773	1.66
योग	3.65

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
पत्र क्रमांक 1691-रीडर-1-2022 बड़वाह, दिनांक 15 जून 2022

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक/ /अ-82/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बी.पी.टी.-1 से कनाड नदी तक बिछाई जाने वाली जी.एम.-1 भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बड़ेल, पटवारी हल्का नंबर- 31, तहसील बड़वाह, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-08, सनावद, जिला-खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	बड़वाह	ग्राम-बड़ेल प.ह.नं.-31	163/2	0.015
			164	0.021
			163/3	0.036
			163/4	
			163/5	0.037
			165/2	0.045
			165/5	0.017
			165/3	0.070
			166/1	0.061
			207/6	0.065
			207/7	0.045
			207/8	0.066
			207/2	0.078
			208/2	
211	0.052			
212/6		0.043		
212/7		0.042		
212/8		0.041		
212/9	0.052			
कुल योग			19	0.734

अनुकूल जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.